

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य पर्याप्तिकारी के नाम से।  
सम्बद्धता विषय पर यह पूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र प्रकार एवं दियाक  
अवश्य सिर्फ जाए विवासी संविधा हो।



ग्राह : यूनीवरिटी  
दूरध्वाः : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्शन : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसंचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक/एफ/सम्बद्धता/2009/ ५१९५

दिनांक: 17/08/12

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, निरावली, रायल, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रत्यावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अब्दुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत विनाकुलार सिरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(संयोजक)

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (0751-2442868)
- (2) प्रो. आई.के. पात्रो, आचार्य, न्यूटो साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) श्रीमती सुविता तिवारी, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

सिरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावाहारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुरू, घरोंहर साथि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेक्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्रावाह्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की वियुक्तियों का प्रमाण एवं बेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अबुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर सिरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण करावें। समिति संयोजक से बिवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में बिरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। बिरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधितव बिरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद बिरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। जिसकी सूचना आवृत्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को मेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में बिरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः बिरत हो जावेगी और पुनः बिरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को वड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होगे। तत्पश्चात् ही बिरीक्षण समिति का पुर्बज्ञ किया जावेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से बिरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। बिरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / आवदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसंचिव

#### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का बिरीक्षण करावें। उक्त बिरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सरपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिलक्षित, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसंचिव (सम्बद्धता)